न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 41/2019

उनवान

रामदेव पुत्र चौथू जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामकरण पुत्र गोपी
2. भूरी पत्नी नाथू जाति माली समस्त निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 2 अनुपस्थित
3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 13/5/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 5519 रकबा 0.13, 5417 रकबा 0.04 व 5418 रकबा 0.03 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। मौके पर खसरा नम्बर 5417 रकबा 0.04 व 5418 रकबा 0.03 की आराजी वादी के हिस्से में व खसरा नम्बर 5519 रकबा 0.13 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में आयी हुयी है। अतः उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नही चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। [illegible] कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में [illegible] मौखिक साक्ष्य हेतु वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:08:48 IST
Reason: SelfAttested

——2

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादी ने पूर्व में वाद में कथन किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 5417 रकबा 0.04 व 5418 रकबा 0.03 की आराजी वादी के हिस्से में व खसरा नम्बर 5519 रकबा 0.13 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में आयी हुयी है। अतः उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। किन्तु बाद में वादी अधिवक्त द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः रामसर के हाल खसरा नम्बर 5519 रकबा 0.13, 5417 रकबा 0.04 व 5418 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में समस्त सहखातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:08:48 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामदेव बनाम रामकरण

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 41/2019
पेश करने की दिनांक – 26.04.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

रामसर के हाल खसरा नम्बर 5519 रकबा 0.13, 5417 रकबा 0.04 व 5418 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में समस्त सहखातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:08:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद